सुमेर सिंह बनाम विजयसिंह वगैरह (2023/355)

आदेश दिनांक–27.12.2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी., आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 12.12.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही अप्रार्थीया संख्या 04 के हक हिस्से की आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2023 द्वारा खरीद की जा चुकी थी, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जानबूझ कर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण जो कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त चले आ रहे है को पक्षकार मुर्तिब किये बिना अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.06.2023 को प्राप्त कर लिया जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है जिन्हे उक्त आदेश के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2023 के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की अनुमति न्यायहित मे प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 3 ने जानबूझ कर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण जो कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त चले आ रहे है को पक्षकार मुर्तिब किये बिना अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.06.2023 को प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी। उक्त जानकारी दिनांक 03.12.2023 को जब अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर उनके पक्ष में स्टे होने बाबत् बताया तो प्रार्थीगण ने न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को जानकारी की एवं जानकारी होते ही उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 05.12.2023 को नकल प्राप्त कर फीस आदि का प्रबन्ध कर अजमेर आये तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जिन्होने अविलम्ब उक्त अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अतं में अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जो बिना प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया गया पर वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति एवं अन्यत्र किया गया पर वादग्रस्त आराजी क मौके की यथास्थिति एवं अन्यत्र बेचान नहीं किए जाने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से मिलने वाले सरकारी परिलाभों से वंचति करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 के हक हिस्से क्रमशः–

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

सुमेरसिंह बनाम विजयसिंह वगै. (355/2023)

की आराजी जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.6.2023 को प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व क्रय की जा चुकी है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान उन्हें पक्षकार नहीं बनाया वह काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट ने एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.6.2023 उपखण्ड न्यायालय से प्राप्त किया है जिसकी आड में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न कर रहा है प्रार्थी व्यथित पक्षकार है उसे अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की जाए। विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त विक्रय पत्र माया पुत्री शंकर सिंह (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 4)पत्नि सरपत सिंह द्वारा सुमेरसिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में ग्राम सुरजकुण्ड के खाता संख्या नया 49 के खसरा नम्बर 334,335,346,348,349 किता कुल 6 रकबा कुला 2.33 है0 जो कि जमाबंदी 2075 के अनुसरण में हैं में अपना हिस्सा इसके द्वारा विक्रय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में 212 का प्रार्थना पत्र विजयसिंह बनाम माया वगैराह 35 / 2023 पर प्रथम कार्यवाही दिनांक 15.6.2023 को होना अंकित है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.6.2023 को न्यायालय पीसांगन में प्रस्तुत करना पाया जाता है। जो कि विक्रय पत्र दिनांक के बाद का है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलांट प्रार्थी द्वारा वाद दायर से पूर्व भूमि क्रय की गई है अतः प्रार्थी अपीलांट को व्यथित पक्षकार माना जाता है व उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2023 की उसे जानकारी नहीं थी। दिनांक 3.12.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर उनके पक्ष में स्टे होने की बात बताने पर उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। दिनांक 4.12.2023 को न्यायालय में जाकर जानकारी ली और नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया। तथा दिनांक 5.12.2023 को नकल प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही कर वकील को पेश किया। देरी का क्षमा किया जावे।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2023 का अवलोकन किया गया उक्त आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की निश्चित तौर पर जानकारी नहीं रही होगी जानकारी मिलने के तुरंत बाद अपीलांट पक्ष द्वारा दिनांक 5.12.2023 को नकल प्राप्त की गई है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 12.12.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को जानकारी दिनांक से अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करने एवं उसके द्वारा मिलने वाले सरकारी परिलाभों से वंचित करने पर आमादा है व यदि उसमें सफल होगया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी अपने पक्ष में बताया। अंत में निवेदन किया कि आदेश दिनांक 15.6.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि रेसपोडेंट संख्या 1 से 3 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 व अन्य के खिलाफ धारा 53,188 आरटी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। सभी रिकार्डेड सहखातेदार हैं। रेसपोडेंट संख्या 4 माया के द्वारा हमें अपना 1 / 6 हिस्सा विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र वाद दायरी के पूर्व का है। इन लोगों ने दुर्भिसंधी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पीसांगन से 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतरिम स्थगन प्राप्त किया है। मेरे हिस्से की भूमि खाली पडी है। बंटवारे के वादपत्र में इन्होंने आपसी सहमति से बंटवारा होना बताया है माया द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि को विक्रय नहीं किया है भूमि अभी भी कृषि भूमि है। भूमि की तारबंदी की हुई है अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त किया जाए।

विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माया द्वारा अपना हिस्सा वर्तमान अपीलांटगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया है वर्तमान अपीलांट उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सदभाविक क्रेता है तथा विक्रय पत्र भी वाद दायरी के पूर्व का है। अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है, क्योंकि वह सदभाविक क्रेता है एवं स्थगन आदेश की क्रमशः-

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

सुमेरसिंह बनाम विजयसिंह वगै० (355/2023)

पृ... वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड रहा है वह सरकारी लाभों से वंचित हो रहा है। सुविधा का संतुलन का बिंदु भी अपीलांटगण के पक्ष में है अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है व रेस्पोडेंट के विरूद्ध है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर आदेश प्राप्त किया है जो उचित नहीं है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2023 विजयसिंह बनाम माया वगैराह अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट में दिए गए स्थगन आदेश दिनांक 15.6.2023 को अंतरिम रूप से स्थगित करता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण को तीन सप्ताह में विधिनुसार निस्तारण करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

27.12.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर